छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1295 E-47383/GENCOR/3230/35/2025 नवा रायपुर, दिनांक 06 /अगस्त/2025

प्रति,

1. संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, अटलनगर, नवा–रायपुर

2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– गौधाम योजना की स्वीकृति के संबंध मे।

संदर्भ :– संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 4623 दिनांक 25.07.2025 तथा संलग्नक पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का पत्र कमांक 696 दि. 25.07.2025

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रदेश के निराश्रित, घुमन्तु तथा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित)/कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंश पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्थापन हेतु संलग्न अनुसार गौधाम योजना की प्रशासकीय स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के File No. FINACC 3602/1363/2025-FINANCE पर दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SURYA KIRAN AGRAWAL
Date: 06-08-2025
14:50:09
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

पृ0 क्रमांक 1296 E-47383/GENCOR/3230/35/2025 नवा–रायपुर, दिनांक 06 /अगस्त/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, (भारसाधक मंत्री, पशुधन विकास विभाग), मंत्रालय, नवा–रायपुर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा–रायपुर।
3. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
5. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
6. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
7. संचालक, कृषि विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा–रायपुर अटलनगर।
8. पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद रायपुर, चतुर्थ तल, कंकाली नगर निगम चिकित्सालय परिसर, ब्राम्हण पारा, रायपुर (छ.ग.)।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

Digitally signed by
Mousam Mehra
Date: 06-08-2025
14:56:49
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

Scanned with CamScanner

गौधाम योजना

छत्तीसगढ़ प्रदेश सात राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है तथा प्रदेश से कुल ग्यारह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते है जिससे अंतर्राज्यीय आवागमन की सघनता है। राज्य में कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 लागू है जिसके अंतर्गत अवैध रूप से पशुओं की तस्करी एवं परिवहन पर रोक है, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर प्रायः अवैध पशु तस्करी पर गृह विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए गौवंशीय पशु जप्त किये जाते है। प्रदेश में निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशु बहुतायत में हैं, ऐसे पशु खेतों में फसलों को नुकसान पुहचाते हैं तथा उनके सड़कों में विचरण करने के कारण दुर्घटनाये होती हैं जिससे पशु के साथ-साथ जनमानस को भी हानि होती है। निराश्रित, घुमन्तू एवं जप्त पशुओं को छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग अंतर्गत निकटस्थ पंजीकृत गौशाला में रखने का प्रावधान है। पंजीकृत गौशालाओं मे क्षमतानुसार पशु विस्थापित हो जाने के कारण वर्तमान में निराश्रित, घुमन्तू एवं जप्त पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासकीय भूमि में गौधाम स्थापित किये जाने की आवश्यकता हैं।

2. योजना – छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 के तहत योजनांतर्गत जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर गौधाम स्थापित किये जायेंगे, जो पंजीकृत गौशालाओं से भिन्न होंगे। प्रथम चरण में प्रदेश की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रो में गौधाम स्थापित किये जायेंगे। गौधाम में स्थानीय निकायो द्वारा निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशुओं तथा गृह विभाग द्वारा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं को ही विस्थापित किया जायेगा।

2.1 गौधाम स्थापना हेतु भूमि – ऐसी शासकीय भूमि जिसमे सुरक्षित बाड़ा, पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, में गौधाम की स्थापना की जायेगी, जैसे स्थापित गौठान जहां पूर्व से अद्योसंरचना विकसित हैं। उपलब्धता अनुसार गौठान से संलग्न चारागाह की भूमि हरा चारा उत्पादन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। गौधाम के संचालन हेतु चयनित संस्था को उपलब्ध कराई गई भूमि, अद्योसंरचना तथा चारागाह पर चयनित संस्था का कोई अधिकार नही होगा।

2.2 गौधाम का उद्देश्य–

- निराश्रित, घुमन्तु पशुओं एवं कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संवर्धन।
- गौउत्पादों को बढ़ावा देना।
- चारा विकास कार्यक्रम विकसित करना।
- प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- पशु नस्ल सुधार करना।
- जन-जन को गौसेवा के लिये प्रेरित करना।
- रोजगार उपलब्ध कराना।

Scanned with CamScanner

2.3 पशु क्षमता– प्रत्येक गौधाम में क्षमतानुसार (अधिकतम 200) गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे।

2.4 क्रियान्वयन नियंत्रण, अनुश्रवण एवं अनुशीलन– छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) मे प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2025) से गठित जिला स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा स्थापित गौधाम का क्रियान्वयन नियंत्रण, अनुश्रवण एवं अनुशीलन किया जायेगा।

2.5 गौधाम संचालन हेतु पात्र संस्थांए – छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एन.जी.ओ. (Non-Government Organization), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समिति।

2.6 गौधाम के संचालन हेतु संस्था का चयन–

(i) गौधाम हेतु चिन्हांकित भूमि के निकटस्थ/आस–पास की पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु सहमति व्यक्त करने पर उक्त समिति को गौधाम संचालन हेतु जिम्मेदारी प्रदाय किये जाने का निर्णय छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा प्राथमिकता पर लिया जा सकेगा। चयनित पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति एवं छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के मध्य अनुबंध पश्चात् उक्त समिति को गौधाम का संचालन सौपा जायेगा।

(ii) निकटस्थ/आस–पास की पंजीकृत गैशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु असहमति व्यक्त करने पर अन्य स्वयंसेवी संस्था एन.जी.ओ. (Non-Government Organization), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समिति द्वारा "Public-Private partnership" mode में गौधाम संचालन हेतु आवेदन किया जा सकेगा। गौधाम संचालन हेतु अन्य संस्था के चयन हेतु निम्न प्रकिया होगी–

- **"रूचि की अभिव्यक्ति"** (Expression of Interest) के आधार पर छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के द्वारा संस्था का चयन किया जावेगा।
- कण्डिका 2.4 में उल्लेखित संस्थायें निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला सशक्त समिति के सदस्य सचिव को जमा करेंगी।
- जिला स्तरीय सशक्त समिति प्राप्त आवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन कर चयनित **संस्था का नाम** छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग से अनुमोदन पश्चात् चयनित संस्था एवं आयोग के मध्य अनुबंध किया जायेगा।
- तत्पश्चात उक्त संस्था को गौधाम का संचालन सौपा जायेगा।

(iii) संस्था के चयन का मापदण्ड निम्नानुसार होगा–

- गौसेवा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव (5 वर्ष)।
- नस्ल सुधार एवं संचालन के क्षेत्र में अनुभव (3 वर्ष)
- संस्था द्वारा पशुपालकों प्रशिक्षण दिये जाने का अनुभव।
- जैविक खाद उत्पादन एवं जैविक खेती का अनुभव।

Scanned with CamScanner

- हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम का अनुभव।
- सामाजिक कार्य का अनुभव।

(iv) चयनित संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष को होगा। क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात् कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

(v) चयनित समिति/संस्था द्वारा अनुबंध अवधि के मध्य में कार्य बंद किया जाता है, अनुबंध का पालन नहीं किया जाता हैं अथवा किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध समाप्ति करने की दशाये एवं अधिकार निम्नानुसार होगी :–

- जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित संस्था के लापरवाही की जांच किया जावेगा तथा जांच प्रतिवेदन के साथ अनुसंशा सहित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के क्रियान्वयन समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमित/आपातकाल बैठक का आयोजन करते हुए चयनित संस्था की लापरवाही के संबंध में जिला स्तरीय समिति की अनुसंशा पर विचार कर निर्णय ले सकेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
- दोष सिद्ध होने की स्थिति मे हर्जाना वसूली की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा किया जावेगा।

2.7 गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था का दायित्व :–

i. अधोसंरचना विकास कार्य–शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आवश्यकतानुसार बाऊन्ड्रीवाल निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पशु शेड़ निर्माण, चारा विकास कार्यक्रम आदि कार्य कराया जा सकेगा।

ii. गौधाम मे उपलब्ध समस्त पशुओं को नियमित दाना–पानी की उपलब्धता, समस्त शेड एवं परिसर की स्वछता सुनिश्चित करना होगा।

iii. गौधाम मे उपलब्ध समस्त पशुओं का स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना होगा। पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु समुचित व्यवस्था, नियमित टीकाकरण, कृमि नाशक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, प्राथमिक एवं अन्य आवश्यक उपचार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

iv. गौवंशीय नर पशुओं का बधियाकरण कराकर बैलजोड़ी तैयार करना होगा।

v. गौवंशीय मादा पशुओं की नस्ल सुधार करना होगा।

vi. चयनित समिति/संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर सघन चारा विकास कराया जायेगा।

vii. उपरोक्त समस्त कार्य हेतु आवश्यक अमला की व्यवस्था के साथ–साथ समस्त संबंधित लेखा संधारण करना होगा।

viii. भारत सरकार व राज्य शासन द्वारा पशु कूरता, पशुओं के रखरखाव आदि संबंधी जारी नियम, अधिनियम, दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी का पालन करना होगा।

Scanned with CamScanner

ix. गोबर एवं गोमूत्र उत्पाद जैसे जैविक खाद का उत्पादन, कीट नाशक उत्पादन आदि, कृषको/पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार करना होगा।

x. गौधाम परिसर एवं आस–पास स्वच्छता रखना होगा, प्रदुषण नियंत्रण आवश्यक होगा।

2.8 गौधाम हेतु मानव संसाधन – व्यवस्था एवं सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा एवं एक गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) रखा जायेगा।

2.9 गौधाम में पशुओं का प्रबंधन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम – चयनित समिति/संस्था द्वारा पशुओं का प्रबंधन पशुधन विकास विभाग द्वारा जारी मानक संचालक प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(i) **नर पशुओं का प्रबंधन –** नर पशु की बैलजोडी तैयार की जा सकती है, जिसे पशुधन विकास विभाग द्वारा आवेदको को निःशुल्क वितरित किया जा सकेगा। तैयार की गई बैलजोडी के आवेदको को वितरण हेतु परिवहन, प्रबंधन पर व्यय छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

(ii) **मादा पशुओं की नस्ल सुधार –** मादा पशुओं की नस्लसुधार पशुधन विकास विभाग को केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत Accelerated Breed Improvement Programme Using Sex sorted semen में प्राप्त सीमेन से किया जायेगा, इस हेतु हितग्राही अंश की राशि की प्रतिपूर्ति छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा की जायेगी। योजनांतर्गत सेक्स सोर्टेड सीमेन उपलब्ध नहीं होने पर पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रदाय फ्रोजन सीमेन से नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा गौधाम के साथ–साथ ग्राम के पशुओं के नस्ल सुधार कार्य भी उपरोक्तानुसार सम्पादित किया जाना होगा।

2.10 गौधाम को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना–प्रत्येक गौधाम में चयनित समिति/संस्था के द्वारा गौ उत्पाद विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं गौ आधारित कृषि को प्रेरित करने प्रयास किये जायेंगे। साथ ही साथ गोबर गौमूत्र से गौ–उत्पाद जैसे– केंचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ, गोनाईल, दीया, दंतमंजन, अगरबत्ती इत्यादि का उत्पादन कर विपणन किया जायेगा।

2.11 योजना का वित्त पोषण – जिला स्तर समिति के अनुशंसा के आधार पर गौधामों को पोषण आहार हेतु छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा प्रथम वर्ष हेतु 10 रूपये प्रतिदिन/पशु के दर से अनुदान दिया जायेगा। जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के पश्चात उत्कृष्ट गौधामों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी–

द्वितीय वर्ष –	20 रूपये प्रतिदिन/पशु
तृतीय वर्ष –	30 रूपये प्रतिदिन/पशु
चतुर्थ वर्ष –	35 रूपये प्रतिदिन/पशु

(i) **गौधाम हेतु पोषण आहार अनुदान** –संरक्षित 200 कृषिक पशुओं हेतु व्यय

Scanned with CamScanner

(राशि रू. में)

वर्षवार विवरण	दर (प्रतिदिन प्रति पशु)	रूपये 10 की अनुदान के दर पर प्रतिदिन व्यय	प्रति वर्ष व्यय (365 दिवस)
प्रथम वर्ष	रूपये 10	2000	7,30,000
द्वितीय वर्ष	रूपये 20	4000	14,60,000
तृतीय वर्ष	रूपये 30	6000	21,90,000
चतुर्थ वर्ष	रूपये 35	7000	25,55,000

टीपः— स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यो के गुणवत्ता के आधार पर एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात् प्रति वर्ष अनुदान में वृद्धि की जायेगी।

(ii) चरवाहों को मानदेय —चरवाहो को श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची—"ग" अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति चरवाहा प्रति माह मानदेय— राशि रू. 10916.00 (अकुशल वर्ग), प्रति वर्ष राशि रू. 130902.00 व्यय होगा,, जो तद्‌नुसार परिवर्तनीय होगा।

(iii) गौसेवक को मानदेय — गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची—"ग" अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति गौसेवक प्रति माह मानदेय— राशि रू. 13126.00 (उच्च कुशल वर्ग), प्रति वर्ष राशि रू. 157512.00 व्यय होगा, जो तद्‌नुसार परिवर्तनीय होगा।

(iv) पशु नस्ल सुधार— राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत Accelerated Breed Improvement Programme Using Sex sorted semen में प्राप्त सीमेन से किया जायेगा, इस हेतु चयनित संस्था द्वारा जमा की गई हितग्राही अंश की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष राशि रू. 150000.00 व्यय होगा।

(v) चारा विकास—आवर्ती व्यय (5 एकड़ के लिए) राशि रू. 285000.00

क.	विवरण	1 एकड़ के लिए राशि रू.	5 एकड़ के लिए राशि रू.
1	भूमि तैयार करने में	5000.00	25000.00
2	गोबर खाद 10 टन/एकड़	20000.00	100000.00
3	नेपियर रूट स्लीप 20,000 रूट स्लीप/एकड़	5000.00	25000.00
4	नेपियर लगाने में मजदूर खर्च	1600.00	8000.00
5	चारा परिवहन	2000.00	10000.00
6	सिंचाई बिजली	2000.00	10000.00
7	कीट नियंत्रण	1000.00	5000.00
8	चारा कटाई के लिए मजदूर खर्च (6—7 कटाई/वर्ष)	4500.00	22500.00
9	चॉफ कटर	-	50000.00
10	अन्य आकस्मिक व्यय	5900.00	29500.00
	कुल व्यय	**47000.00**	**285000.00**

नोट :— गौधाम अंतर्गत चारा विकास का कार्य भूमि उपलब्ध होने पर संचालित किया जायेगा। प्रथम वर्ष राशि रू. 285000.00, द्वितीय वर्ष से चॉफ कटर हेतु प्रावधानित राशि देय नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

(vi) अद्योसंरचना विकास – छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा गौधाम हेतु उपलब्ध कराई भूमि में पूर्व से निर्मित अद्योसंरचना की मरम्मत/मूलभूत अद्योसंरचना हेतु अधिकतम राशि रू. 5.00 लाख प्रदाय होगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नवीन संरचना निर्माण का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न विभाग की संचालित योजनाओं के अभिसरण से कराया जा सकता हैं।

प्रत्येक गौधाम के संचालन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकता :–

(राशि रू. लाख में)

वर्षवार विवरण	अद्योसंरचना विकास	पोषण आहार हेतु अनुदान राशि	चरवाहा हेतु मानदेय राशि	गौ सेवकों हेतु मानदेय राशि	नस्ल सुधार हेतु	चारा विकास हेतु	कुल राशि
प्रथम वर्ष	5.00	7.30	1.31	1.58	1.50	2.85	**19.54**
द्वितीय वर्ष	–	14.60	1.31	1.58	1.50	2.35	**21.34**
तृतीय वर्ष	–	21.90	1.31	1.58	1.50	2.35	**28.64**
चतुर्थ वर्ष	–	25.55	1.31	1.58	1.50	2.35	**32.29**

टीपः– समिति/संस्था को प्रदत्त अनुदान छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के नियम 2005 (यथासंशोधित) के नियम 11 (4) एवं 11 (9) अनुसार होगा।

प्रत्येक गौधाम के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार अनुमानित व्यय की आवश्यकता की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से प्राप्त राशि से की जावेगी।

2.12 गौधाम का छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीयन की प्रकिया :–

I. जिला में निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशुओं के विस्थापन हेतु आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि/ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गौठान का चिन्हांकन कर गौधाम स्थापना का निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्रार, छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक/वित्तीय जानकारी संलग्न होगी।

II. रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

III. रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल के निकटस्थ/आस–पास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति से गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की सहमति ली जायेगी।

IV. पंजीकृत गौशाला की समिति से सहमति प्राप्त होने पर आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर प्राप्त प्रस्ताव तथा सहमति पत्र आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

V. निकटस्थ/आस–पास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की असहमति व्यक्त करने पर रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्टर/छ.ग. गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2025) अनुसार गठित जिला समिति को

Scanned with CamScanner

तदाशय की सूचना दी जाकर योजना अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गौधाम संचालन हेतु संस्था के चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जायेगा।

VI. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये गौधाम संचालन हेतु संस्था का चयन किये जाने पर निम्नलिखित जानकारी रजिस्ट्रार को प्रेषित की जायेगी–

- संस्था से संबंधित संपत्ति का ब्योरा।
- सस्था के कार्यकारणी सदस्यो के नाम तथा पता।
- संस्था में पद के उत्तराधिकार की रीति।
- संस्था के आय–व्यय का ब्योरा तथा आय का स्त्रोत।
- जिला प्रशासन की अनुशंसा।

VII. यह समाधान होने पर की संस्था पंजीकरण की समस्त आर्हता पूर्ण करती हैं तथा उक्त गौधाम के संचालन पर योजनानुसार व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से आयोग को प्राप्त राशि से हो जायेगी ,रजिस्ट्रार द्वारा समस्त विशिष्टियों को आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर आवेदन पत्रों के साथ आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

VIII. बिन्दु क्रमांक iv अथवा vii अनुसार क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रार गौधाम के पंजीकरण हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

IX. विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने पर छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग तथा चयनित संस्था के मध्य निर्धारित अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा।

X. अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित होने के पश्चात् रजिस्ट्रार गौधाम का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Digitally signed by
Mousam Mehra
Date: 06-08-2025
15:47:25

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग

कंकाली हॉस्पिटल, तृतीय तल, कंकाली पारा, रायपुर, छ.ग.
फोन नं. – 0771 –2436321, ई–मेल gsaayog@gmail.com

कमांक ..860....... / तक.2 / गौ.से.आ. / 2025–26 रायपुर, दिनांक ..11.08.2025

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,.
जिला ....छ.ग.

विषय :– गौधाम योजना के कियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– 1. उप सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, का पत्र कमांक 1295 E-47383/GENCOR/3230/35/2025 नवा रायपुर 06 अगस्त 2025.

2. संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 5076 दिनांक 11.08.2025.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कमांक 1 के माध्यम से प्रदेश के निराश्रित, घुमन्तू तथा छ. ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंश पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्थापन हेतु गौधाम योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

गौधाम योजना के कियान्वयन में छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2013, 2016, 2016, 2017, 2022 एवं 2025) के तहत् योजनांतर्गत जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर गौधाम स्थापित किये जायेंगे, जो पंजीकृत गौशालाओं से भिन्न होंगे। गौधाम का संचालन शासकीय भूमि जिसमें सुरक्षित बाड़ा, पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, में की जायेगी। गौधाम के संचालन हेतु चारागाह की भूमि एवं अधोसंरचना चयनित संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एन.जी.ओ. (Non-Government Organization), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समिति द्वारा गौधाम का संचालन किया जा सकेगा।

अतः गौधाम संचालन हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से संलग्न प्रपत्र अनुसार प्रस्ताव निकटस्थ पंजीकृत गौशाला संचालक तथा रूचि की अभिव्यक्ति के आधार पर अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जावे।

संलग्न :– 1. प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी (प्रपत्र–7, प्ररूप 'क')
2. गौशाला / स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गौधाम संचालन के लिए सहमति पत्र का प्रारूप (प्रपत्र–7, प्ररूप 'ख')
3. गौधाम संचालन करने वाली संस्था की जानकारी (प्रपत्र–7, प्ररूप 'ग')

पंजीयक
छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग
रायपुर

पृ.कमांक .861... / तक.2 / गौ.से.आ. / 2025–26 रायपुर, दिनांक 11.08.2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला समस्त, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सचिव, छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

पंजीयक
छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग
रायपुर

D/AAKASH/CHAIRMAN/GAUDHAM YOJNA/GAUDHAM LETER 17

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–7

प्ररूप– 'क'

(नियम 5 (3)(ङ)/(च) देखिये)

कलेक्टर/गठित जिला समिति, जिला .... द्वारा सत्यापन एवं पुष्टिकरण
गौधाम का नाम ...., ग्राम ...., वि.खं................., जिला ....

(क) – गौधाम योजना हेतु संस्था संबंधी विवरण

अ.क्र.	विवरण	जानकारी
1.	संस्था का नाम	....
2.	संस्था गौ सेवा आयोग में	पंजीकृत/अपंजीकृत
3.	संस्था का डाक का पूर्ण पता	....
4.	जिला	....
5.	संस्था का स्थापना वर्ष	....
6.	संस्था गौ सेवा आयोग छ.ग. में पंजीयन यदि हो तो, कमांक/दिनांक	....
7.	अन्य संस्था का नाम तथा पंजीयन कमांक/दिनांक	....
8	संस्था के संपर्क सूत्र का नाम पता तथा दूरभाष कमांक	....

(ख) – गौधाम के आधित्य में भूमि/भवन संबंधी विवरण

अ.क्र.	विवरण	जानकारी
1.	गौधाम का कुल क्षेत्रफल	....
2.	कृषि योग्य भूमि (सिंचित/असिंत)	....
3.	अकृषि योग्य भूमि	....
4.	चरनोई का रकबा	....
5.	भवन (निर्मित क्षेत्रफल)	....

Scanned with CamScanner

6. पशु शेड की संख्या एवं क्षमता

7. उपलब्ध पानी की व्यवस्था ....
(नदी, नाला, तालाब, ट्यूबवेल आदि) ....

8. उपलब्ध गोबर गैस प्लांट ....

9. उपलब्ध सोलर पेनल ....

10. साईलोपिट/अन्य ....

11. उपलब्ध वाहनों की संख्या ....
(बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, जीप, साइकिल आदि)

(ग) – गौधाम में उपलब्ध पशुधन के विवरण

अ.क्र.	विवरण	कुल पशुधन ....
1.	दुधारू गाय	....
2.	गाभिन गाय	....
3.	बॉझ/अनुत्पादक/वृद्ध/ अपंग गाय एवं बैल	....
4.	सांड	....
5.	बैल	....
6.	बछड़े/बछड़ी/कलोर	....
7.	3 माह की आयु तक के दूध पीने वाले वत्स	....
8.	न्यायालय/पुलिस कस्टडी से प्राप्त गौ पशुओं की संख्या तथा प्राप्ति तिथि	....
9.	क्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है	....
10.	संचालन हेतु आय का स्त्रोत	....

(घ) – कलेक्टर/गठित जिला समिति की टीप एवं अनुशंसा :– ....
....
....
....
....

संयुक्त/उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें

कलेक्टर/गठित समिति के पदाधिकारी
जिला ....
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–7

प्ररूप– 'ख'

(नियम 5 (3)(ङ)/(च) देखिये)

सहमति पत्र

मैं .... अध्यक्ष/सचिव .... छ.ग. द्वारा सहमति प्रदान करते हैं कि गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधन 2025) के नियम 16(1)(क) एवं (ख) अनुसार छ.ग. गौ सेवा आयोग द्वारा प्रदायित गौधाम.............................., ग्राम ...., वि.ख. ....का संचालन हमारी समिति द्वारा पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किया जायेगा। किसी भी दुर्विनियोग व धोखाधड़ी के लिए हमारी संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।

संस्था प्रमुख के नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

संस्था के सदस्यों के हस्ताक्षर

1.......................................

2.......................................

3.......................................

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–7
प्रारूप – 'ग'
(नियम 5 (3)(ङ)/(च) देखिये)

कार्यालय .... (यहां गौधाम का नाम लिखे)

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग,
रायपुर.

विषय :– छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग अधिनियम 2004 एवं नियम 2005 (यथा संशोधित 2013, 2016, 2017, 2022 एवं 2025) के अधीन गौधाम के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन।

....

अतः पूर्वोक्त अधिनियम में पशु कल्याण गौधाम के रजिस्ट्रीरण उपबंध है।

अतः छत्तीसगढ़ राज्य गौ–सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2025) के नियम 5(3)(ङ)(च) के अपेक्षित विशिष्टयों सहित, तीन प्रतियों में यह आवेदन प्रस्तुत है।

.... बैंक का रूपयें .... का एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट कमांक ..../दिनांक .... रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न है।

पूरा पता ....
....
....

गौशाला/स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित
गौधाम प्रमुख या उसका प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर एवं मुहर

सूची

अनुक्रमांक	अभिलेखों का विवरण
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हस्ताक्षर गौधाम प्रमुख

पावती

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों सहित प्राप्त किया।

रायपुर :

दिनांक :

छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग, रायपुर के
आवक लिपिक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–7
प्रारूप – 'ग'

(नियम 5 (3)(ङ)/(च) देखिये)

सरल कमांक गौधाम अभिलेखों की विशिष्टियॉं

....

....

1. गौधाम का नाम .... स्थापना तारीख ....

2. अवस्थिति स्थान .... तहसील .... जिला ....

3. गौधाम के उद्‌गम और प्रकृति तथा उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले विलेख, लिखित या ऐसे संक्षिप्त सार की प्रतियां संलग्न करते हुये गौधाम के उद्देश्य और लक्ष्य ....

....

....

....

....

4. गौ सेवा आयोग में पंजीकृत/अपंजीकृत स्वयंसेवी संस्था छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अनिधिनियम 2004 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने पर उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

....

....

....

5. समिति के उद्देश्य :– ....

....

....

6. समिति के प्रवंध विनियमों द्वारा समति के कार्यों का प्रबंध कार्यकारिणी को सौंपा गया है, जिनके नाम एवं पते हस्ताक्षर सहित :–

अनु.क्र.	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1)	....	....	....	
	....	....	....	....
			....	
2)	....	....	....	
	....	....	....	....
			....	
3)	....	....	....	

Scanned with CamScanner

....

4) ....
....

5) ....
....

6) ....
....

7) ....
....

8) ....
....

9) ....
....

10) ....
....

7. स्वयंसेवी संस्था पूर्व में जिस संस्था के माध्यम से कृषिक पशुओं का संरक्षण, संवर्धन कर रही है, उसकी पशुधन संख्या–

पशुधन का विवरण		संख्या	नस्ल
(क) गाय		....	....
(ख) बछड़ी (कलोर)		....	....
(ग) बैल		....	....
(घ) बछड़े	नर	....	....
	मादा	....	....

(ङ) अन्य पशुधन (प्रकार दर्शाएं) ....

....

Scanned with CamScanner

8.	संस्था द्वारा धारित भूमि का कृषि पूर्ण विवरण (भू–अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति) संस्था को कलेक्टर/गठित समिति द्वारा प्रस्तावित स्थल का पूर्ण विवरण (भू–अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति)	चराई/घास	अन्य श्रेणी की

9.	उपयोग में आने वाली जमीन का वर्गीकरण (छायाप्रति)	सड़क में	भवन में	अन्य प्रयोजन में

10. संस्था के आय का स्रोत ....

....

11. गतिविधियां (संक्षिप्त में टीप दें–..

....

....

12. गत 3 वर्षों का संपरीक्षित लेखा (वैकल्पिक)– ....

....

....

....

....

13. अनुदान प्राप्ति संबंधी विवरण :– (पूर्ववर्ती तीन वर्षो का)

कमांक	संस्था को पूर्व में प्राप्त अनुदान	वर्ष	वर्ष	वर्ष ....
1	छ.ग. गौसेवा आयोग रायपुर, छत्तीसगढ़			
2	भारत पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई			
3	सांसद निधि			
4	विधायक निधि			
5	अन्य गोधाम			

14. अन्य जानकारियां –

....

....

....

....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग

सरगुजा कुटीर, विधायक कॉलोनी, जी.ई. रोड, रायपुर, छ.ग.
फोन नं. – 0771-2436321, ई-मेल gsaayog@gmail.com, oicgsaayog.cg@gov.in

क्रमांक 3668../तक.1/गौ.से.आ./2025–26 रायपुर, दिनांक 09./12./25.

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला–समस्त ।

विषय :–गौधाम संचालन के संबंध में ।

संदर्भ :–छ.ग.शासन,पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 1732 दिनांक 14.11.2025.

योजना
07/01/26

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि छ.ग.शासन,पशुधन विकास विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन, नवा रायपुर के माध्यम से गौधाम योजनान्तर्गत् गौधाम संचालन हेतु निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुये है–

1. गौधाम स्थापना हेतु सर्वप्रथम योजनान्तर्गत् जिला स्तर पर गौठान का चिन्हांकन किया जाना है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय पशुओं का विस्थापन किया जाना है। परिपालन में प्राथमिकता पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के निकट उपयुक्त गौठान का चिन्हांकन किया जावे।
2. गौठान का चिन्हांकन पश्चात् संबंधित पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा गौधाम स्थापना हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया जावे।
3. प्रस्ताव प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जावे।
4. प्रस्तावित गौठान सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने पर निकटस्थ/आसपास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति से गौधाम योजना अंतर्गत् गौधाम संचालन की सहमति ली जावे।
5. निकटस्थ/आस पास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत् गौधाम संचालन की असहमति व्यक्त करने पर योजना अनुसार जिला स्तर से प्रस्तावित गौठान हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गौधाम संचालन हेतु संस्था की चयन की कार्यवाही की जावे।

(मुहर: कार्यालय उपसंचालक ... आ.क्र. 1829 दि. 7-1-26)

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी घुमंतु गौवंशीय पशुओं को विस्थापित किये जाने हेतु यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करेंगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

पंजीयक
छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग
रायपुर

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय राजमार्ग,राज्य राजमार्ग के निकट चिन्हित गौठानो की सूचि			
क्रमांक	विकासखंड	गौठान ग्राम	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग से दूरी (K.M)
1	उदयपुर	डांडगाँव	3
2		पुटा	3
3		सरगवां	8
4		सनिबर्रा	7
5		जजगा	0.5
6		सायर	8
7	बतौली	मंगारी	1
8	लखनपुर	कुवंरपुर	2
9		पुहपुटरा	4
10	सीतापुर	राधापुर	2
11	मैनपाट	राजापुर	10
12		उड़ूमकेला	20
13	अंबिकापुर	मेंनड्राकला	2
14		परसा	3
15		सरगावां	8
16		सोहगा	10
17	न.पा.नि. अंबिकापुर	घुटरापारा	2

Scanned with CamScanner